

अनुबंध I⁴
(वाणिज्यिक बैंकों पर लागू)

फॉर्म ए
तुलन पत्र का फॉर्म

----- (यहाँ बैंकिंग कंपनी का नाम भरे) का तुलन पत्र
31 मार्च ----- (वर्ष) की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

(000 को छोड़कर)

	अनुसूची	31-3----- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)	31-3----- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)
पूंजी और दायित्व			
पूंजी	1		
आरक्षितिया और अधिशेष	2		
जमा राशियाँ	3		
उधार	4		
अन्य देनदारियों तथा प्रावधान	5		
जोड़			
आस्तियां			
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और अतिशेष	6		
बैंको में अतिशेष और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्त धन	7		
विनिधान	8		
अग्रिम	9		
स्थिर आस्तियां	10		
अन्य आस्तियां	11		
जोड़			
समाश्रित दायित्व	12		
संग्रहण के लिए बिल			

⁴ फॉर्म ए और फॉर्म बी भारत सरकार की मूल अधिसूचना एसओ 240 (ई) दिनांक 26 मार्च 1992 से पुनः प्रस्तुत किया गया

अनुसूची 1 – पूंजी

	31-3----- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)	31-3----- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)
I	राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए पूंजी (केंद्र सरकार के पूर्ण स्वामित्व में)	
II	भारत के बाहर निगमित बैंकों के लिए पूंजी (i) आरबीआई द्वारा निर्धारित स्टार्ट-अप पूंजी के माध्यम से बैंकों द्वारा लाई गई राशि को इस शीर्ष के तहत दिखाया जाना चाहिए। (ii) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 11(2) के तहत आरबीआई के पास रखी गई जमा राशि।	
III	कुल अन्य बैंकों के लिए प्राधिकृत पूंजी (_____रूपये प्रति शेयर वाले ___ शेयर) जारी पूंजी (_____रूपये प्रति शेयर वाले ___ शेयर) अभिदत्त पूंजी (_____रू. के ___ शेयर) कॉल-अप पूंजी (प्रत्येक _____रू. के ___ शेयर) घटाइए: अदत्त मांग जोड़ीए: समग्रहत शेयर	

अनुसूची 2 – आरक्षितिया और अधिशेष

	31-3----- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)	31-3----- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)
I. कानूनी आरक्षितिया अथशेष वर्ष के दौरान परिवर्धन वर्ष के दौरान कटौतियाँ		
II. पूंजी आरक्षितिया अथशेष वर्ष के दौरान परिवर्धन वर्ष के दौरान कटौतियाँ		
III. शेयर प्रीमियम अथशेष वर्ष के दौरान परिवर्धन वर्ष के दौरान कटौतियाँ		
IV. राजस्व और अन्य आरक्षितिया अथशेष वर्ष के दौरान परिवर्धन वर्ष के दौरान कटौतियाँ		
V. लाभ और हानि खाते का अधिशेष जोड़ (1, 2, 3, 4 और 5)		

अनुसूची 3 – निक्षेप

	31-3----- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)	31-3----- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)
ए. I. मांग निक्षेप (i) बैंकों से (ii) अन्य से		
II. बचत बैंक निक्षेप		
III. कालिक निक्षेप (i) बैंकों से (ii) अन्य से जोड़ (I, II और III)		
बी. (i) भारत में शाखाओं के निक्षेप (ii) भारत से बाहर शाखाओं के निक्षेप जोड़		

अनुसूची 4 – उधार

	31-3----- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)	31-3----- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)
I. भारत में उधार (ए) भारतीय रिज़र्व बैंक (बी) अन्य बैंक (सी) अन्य संस्थान व अभिकरण		
II. भारत के बाहर उधार		

जोड़ (I और II)

उपर I और II में सम्मिलित प्रतिभूत उधार -- रूपये

अनुसूची 5 - अन्य देनदारियों तथा प्रावधान

31-3----- की
स्थिति के अनुसार
(चालू वर्ष)

31-3----- की
स्थिति के अनुसार
(पिछला वर्ष)

31-3----- की
स्थिति के अनुसार
(चालू वर्ष)

31-3----- की
स्थिति के अनुसार
(पिछला वर्ष)

- I. सदेय बिल
- II. अंतर कार्यालय समायोजन (शुद्ध)
- III. अर्जित ब्याज
- IV. अन्य (इसमें व्यवस्था सम्मिलित है)

जोड़

अनुसूची 6 - भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और अतिशेष

31-3----- की
स्थिति के अनुसार
(चालू वर्ष)

31-3----- की
स्थिति के अनुसार
(पिछला वर्ष)

- I. हाथ नकदी
(इसमें विदेशी करेंसी नोट सम्मिलित हैं)
- II. भारतीय रिज़र्व बैंक में अतिशेष
 - (i) चालू खाते में
 - (ii) अन्य खातों में

जोड़ (I और II)

अनुसूची 7 - बैंकों में अतिशेष और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्त धन

31-3----- की
स्थिति के अनुसार
(चालू वर्ष)

31-3----- की
स्थिति के अनुसार
(पिछला वर्ष)

- I. भारत में
 - (i) बैंकों में अतिशेष
 - (ए) चालू खातों में
 - (बी) अन्य जमा खातों में
 - (ii) मांग और अल्प सूचना पर प्राप्त धन
 - (ए) बैंकों के पास
 - (बी) अन्य संस्थानों में
- जोड़ (i और ii)
- II. भारत में बाहर
 - (i) चालू खातों में
 - (ii) अन्य जमा खातों में
 - (iii) मांग और अल्प सूचना पर प्राप्त धन
- जोड़ (i, ii और iii)
- जोड़ (I और II)

अनुसूची 8 – विनिधान

	31-3----- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)	31-3----- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)
I. भारत में विनिधान		
(i) सरकारी प्रतिभूतियां		
(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		
(iii) शेयर		
(iv) डिबेंचर और बंध पत्र		
(v) अनुषंगियों और/अथवा सह उद्यम		
(vi) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
जोड़		
II. भारत के बाहर विनिधान		
(i) सरकारी प्रतिभूतियां (इसमें स्थानीय प्राधिकारी सम्मिलित हैं)		
(ii) विदेश में अनुषंगियों और/अथवा उद्यम		
(iii) अन्य विनिधान (विनिर्दिष्ट करें)		
जोड़		
कुल जोड़ (I और II)		

अनुसूची 9 – अग्रिम

	31-3----- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)	31-3----- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)
ए. (i) क्रय किए गए और मिती काटे पर भुगतान किए गए विनिमय पत्र		
(ii) रोकड़ उधार, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रति सदेय उधार		
(iii) सावधि उधार		
जोड़		
बी. (i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत		
(ii) बैंक/सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा सूरक्षित		
(iii) अप्रतिभूत		
जोड़		
सी. I. भारत में अग्रिम		
(i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र		
(ii) सरकारी क्षेत्र		
(iii) बैंक		
(iv) अन्य		
जोड़		
सी. II. भारत के बाहर अग्रिम		
(i) बैंकों से शोध		
(ii) अन्यो से शोध		
(ए) क्रय किए गए और मिती काटे पर भुगतान किए गए विनिमय पत्र		
(बी) सिंडिकेटेड ऋण		
(सी) अन्य		
जोड़		
कुल जोड़ (सी. I और II)		

अनुसूची 10 – स्थिर आस्तियां

	31-3----- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)	31-3----- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)
I. परिसर पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च के अनुसार लागत वर्ष के दौरान परिवर्धन वर्ष के दौरान कटौती आज तक मूल्यहास		
II. अन्य स्थिर आस्तियां (इसमें फर्निचर और फिक्चर सम्मिलित हैं) पिछले वर्ष के 31 मार्च के लागत पर वर्ष के दौरान परिवर्धन वर्ष के दौरान कटौती आज तक मूल्यहास जोड़ (I और II)		

अनुसूची 11 – अन्य आस्तियां

	31-3----- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)	31-3----- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)
I. अंतर-कार्यालय समायोजन (शुद्ध)		
II. अर्जित ब्याज		
III. अग्रिम रूप से सदेत/स्त्रोत पर कर कटौती		
IV. लेखन सामाग्री और स्टैप		
V. दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गई बैंककारी आस्तियां		
VI. अन्य* जोड़		

* यदि हानि का कोई असमायोजित शेष है तो उसे इस मद के अंतर्गत उपयुक्त फुट-टिप्पणी के साथ दिखाया जा सकता है।

अनुसूची 12 – समाश्रित दायित्व

	31-3----- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)	31-3----- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है।		
II. आंशिक रूप से भुगतान किए गए निवेशों के लिए देयता		
III. बकाया वायदा विनिमय अनुबंधों के कारण देयता		
IV. संघटकों की ओर से दी गई प्रतिभूतियां (a) भारत में (b) भारत के बाहर		
V. प्रति-ग्रहण पृष्ठकन और अन्य बाध्यताएँ		
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक समाश्रित रूप से उत्तरदायी है जोड़		

अनुबंध I
(वाणिज्यिक बैंकों पर लागू)

फॉर्म - बी
31 मार्च (वर्ष) को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते का प्रपत्र

	अनुसूची	31-3----- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)	(000's को छोड़कर) 31-3----- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)
I. आय			
अर्जित ब्याज	13		
अन्य आय	14		
जोड़			
II. व्यय			
व्यय किया गया ब्याज	15		
प्रचालन व्यय	16		
उपाबंध और आकस्मिक व्यय			
जोड़			
III. लाभ/हानि			
वर्ष के शुद्ध लाभ/हानि(-)			
लाभ/हानि(-)आगे लाया गया			
कुल			
IV. विनियोजन			
वैधानिक रिज़र्व का अंतरण			
अन्य रिज़र्व में अंतरण			
सरकार को अंतरण/प्रस्तावित लाभांश			
अतिशेष जो तुलन पत्र में आगे लाया गया			
हैं।			

अनुसूची 13 – अर्जित ब्याज

	31-3----- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)	31-3----- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)
I. ब्याज/, अग्रिमो/विनिमयों पात्रो पर ब्याज/मितीकाटा		
II. विनिधानों पर आय		
III. भारतीय रिज़र्व बैंक के अतिशेषों और अन्य अंतर-बैंक निधियों में शेष राशि पर ब्याज		
IV. अन्य जोड़		

अनुसूची 14 – अन्य आय

	31-3----- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)	31-3----- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)
I. कमिशन, विनिमय और दलाली		
II. विनिधानों के विक्रय पर लाभ घटः विनिधानों के विक्रय पर हानि		
III. विनिधानों के पूनर्मूल्यांकन पर लाभ घटः विनिधानों के पूनर्मूल्यांकन पर हानि		
IV. भूमि, भवनो और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ घटः भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की विक्रय पर हानि		
V. विनिमय संव्यवहारों पर लाभ घटः विनिमय संव्यवहारों पर हानि		
VI. विदेश/भारत में स्थापित समनुषंगियों /कंपनियों और/या सह उद्यमों से लाभांशों आदि के रूप में अर्जित आय		
VII. प्रकिर्ण आय जोड़		

नोटः मद संख्या I से V के अंतर्गत घाटे कोष्ठको में दिखाए जाएं।

अनुसूची 15 – व्यय किया गया ब्याज

	31-3----- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)	31-3----- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)
I. निक्षेपों पर ब्याज		
II. भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर-बैंक उधारों पर ब्याज		
III. अन्य जोड़		

अनुसूची 16 – परिचालन व्यय

	31-3----- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)	31-3----- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए व्यवस्था		
II. भाटक, कर और लाइटिंग		
III. मुद्रण और लेखन सामग्री		
IV. विज्ञापन और प्रचार		
V. बैंकों की संपत्ति पर मूल्यह्रास		
VI. निदेशक की फीस, भत्ते और व्यय		
VII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (इसमें शाखा लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय शामिल हैं)		
VIII. विधि प्रभार		
IX. डाक, महसूल, तार और टेलीफोन, आदि.		
X. मरम्मत और अनुरक्षण		
XI. बीमा		
XII. अन्य व्यय जोड़		